हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 58/2020 GCMS NO. 2020/00103** **उनवानी विशम्भरदयाल बनाम रामकुमार आदि** **अन्तर्गत धारा 111/128 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय लिखवाया जाना है। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि राजस्व ग्राम मानोता खुर्द तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित भूमि खसरा नम्बर 180, 181, 81 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हेक्टेयर भूमि की बाबत तहसीलदार खेतड़ी को पुनः स्थाई सीमा कायम कर सीमांकन कर सीमेन्टेड पीलर से पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें, खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 राजस्व ग्राम **मानोता खुर्द** पटवार हल्का मानोता कलां तहसील खेतड़ी खाता संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 180, 181, 81 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हेक्टेयर का प्रार्थी 1/10 हिस्से का अन्य सहखातेदारों के साथ रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 13.02.2020 द्वारा पटवारी हल्का मानोता कलां के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 13.02.2020 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा **आदेश** अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **मानोता खुर्द** पटवार हल्का **मानोता कलां** स्थित भूमि खसरा नम्बर 81, 180, 181 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का **मानोता कलां** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 13.02.2020 के अनुसार 2500/–रूपये की फीस पर पत्थरगढ़ी से प्रभावित पक्षकारों/काश्तकारों की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 81, 180, 181 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हेक्टेयर की चारों सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले [illegible] सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Banshi Dh Date: 2024.11.18 16:22:14 IS Reason: SelfAttested (बन्शी [illegible]) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी	